कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

...लों द्वारा कार्य
... कार्य से ब्यस्त
...शी हो गई। मत
...दिनांक 10/10/24

हस्ताक्षर रीडर

वकील वादीगण उप०/ वास्ते
...मि 16/10/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधि...
बांदीकुई

...ील वादीगण उप०/ वास्ते आदेश
...0/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधि...
बांदीकुई

...अवकाश होने से आज
...रा कार्य
... से ब्यस्त
...गई। मत
...13/11/24

...र रीडर

... द्वारा कार्य
...र्य से ब्यस्त
... हो गई। मत
...क 29/11/24

...ताक्षर रीडर

...न वादीगन उप०/ वास्ते आदेश
... को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

---

33 4-2000-10 लाख फा

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

मोतीसिंह वगै. बनाम राज सरकार

मुकदमा दुरुस्ती नक्शा नं० 73 सन 2020

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। प्रकरण में उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। वादपत्र, पत्रावली एवं तहसीलदार बांदीकुई रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करते उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वाद दावा दुरुस्ती नक्शा ट्रेस स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 3/1/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 79/2020
प्रकरण दायर दिनांक 22.07.2020
प्रकरण निर्णय दिनांक 03.02.2025

उनवान

1. मोतीसिंह पुत्र बीरबल
2. अरजन पुत्र कौरीलाल
3. करतारसिंह पुत्र रामहेत
4. शांति देवी पत्नी गंगासहाय
5. महेन्द्र पुत्र गंगासहाय
6. भोलासिंह पुत्र गंगासहाय
7. गोपालसिंह पुत्र कौरीलाल
8. जयराम पुत्र रामहेत
9. बहादुरसिंह पुत्र रामहेत
10. बाबूलाल पुत्र लोहडया
11. मन्नालाल पुत्र आनंदा
12. राजेन्द्रसिंह पुत्र बीरबल
13. विनोद कुमार पुत्र आनंदा
14. शांति पत्नी लोहडया
15. संजीव कुमार पुत्र लोहडया नाबालिग जरिये संरक्षक कुदरती मां शांति देवी पत्नी लोहडया
16. प्रदीपसिंह पुत्र लोहडया नाबालिग जरिये संरक्षक कुदरती मां शांति देवी पत्नी लोहडया
17. सुरेश कुमार पुत्र बीरबल

समस्त जाति गुर्जर निवासी आशापुरा तहसील बसवा जिला दौसा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बांदीकुई जिला दौसा

१५६—

Scanned with OKEN Scanner

" दावा दुरूस्ती नक्शा ट्रेस "

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादी दावा दुरूस्ती नक्शा ट्रेस जर्ये वकील श्री सुरेश कुमार गुर्जर के इस आशय से पेश किया कि भूमि आराजी खसरा नं. 224 रकबा 1.57 हैक्टेयर बारानी ए. 227 रकबा 0.12 हैक्टे. बारानी ए. वाके ग्राम आशापुरा में स्थित है जो कि उपतहसील कार्यालय बांदीकुई एवं उपखण्ड अधिकारी आवासीय भवन के लिए आरक्षित है जिसमे वर्तमान में उपतहसील कार्यालय बांदीकुई संचालित है। भूमि उपरोक्त के साबिक खसरा संख्या 61 है। सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा भूमि उपरोक्त का नया नक्शा बनाते समय विधि विरूद्ध तरीके से पुराने नक्शे के विपरीत नया नक्शा बना दिया। सैटलमेन्ट अधिकारियों को बिना सुने एवं सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकॉर्ड में हेर–फेर, परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। पुराना नक्शा संवत 2016–17 संलग्न वाद पत्र पेश है सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा बनाया गया है वह विधि विपरीत है। दुरूस्त किये जाने योग्य है। भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा भूमि खसरा संख्या 227 का नक्शा वादीगण की भूमि खसरा संख्या 226 में गलत तरीके से पूर्व–पश्चिम दिशा में एक भूखण्ड के रूप में बना दिया जिसमे वादीगण को अपूरणीय क्षति हो गई है। जबकि खसरा संख्या 227 जिसके पुराने नं. 61 रहे है। उसके नक्शे संवत 2016–17 में उक्त भूमि का नक्शा उत्तर दक्षिण लम्बवत रूप में रहा है। वादीगण वर्तमान नये नक्शे को पुराने नक्शे संवत् 2016–17 के अनुसार दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 मौके पर भूमि उपरोक्त के पुराने नक्शे के मुताबिक ही मौके पर काबिज काश्त है वादीगण ने मौके पर अपने खेत खसरा संख्या 226 हैक्टेयर चारो तरफ कच्ची खाम डोल बजमाने बुजुर्गान बना रखी है प्रतिवादी संख्या 02 ने भी मौके पर पुराने नक्शे के अनुसार ही कब्जा प्राप्त कर निर्माण किया है। वर्तमान में भूमि खसरा संख्या 227 का नक्शा गलत होने के कारण वादीगण को परेशानी का सामना करना पड रहा है। वर्तमान में भूमि खसरा संख्या 227 का नक्शा गलत होने के कारण वादीगण को परेशानी का सामना करना पड रहा है। इसलिये भूमि उपरोक्त के नये नक्शे को पुराने नक्शा संवत् 2016–17 के अनुसार दुरूस्त करवाने के हक अधिकारी है। खसरा संख्या 227 के वर्तमान नक्शे की भूमि उपरोक्त के साबिक खसरा संख्या 61 के अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। वादीगण ने दिनांक 02.07.2020 को प्रतिवादी संख्या 02 के कार्यालय में उपस्थित होकर खसरा संख्या 227 के नक्शे को दुरूस्त करवाने का आग्रह किया तब प्रतिवादी संख्या 02 ने कहा कि न राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती न्यायालय के आदेश से ही कर सकते है। अतः वादपत्र मिन जानिब दीगण पेश कर अर्ज है कि वादीगण का दावा स्वीकार फरमाया जाकर भूमि खसरा नं. 227 का र्तमान नक्शे को भूमि उपरोक्त के साबिका खसरा संख्या 61 के नक्शे संवत् 2016–17 के नुसार दुरूस्त किया जाकर डिक्री पारित की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रकरण में हसीलदार बॉदीकुई से जॉच रिपोर्ट दिनांकः 02.07.2024 प्राप्त हुई। प्रकरण में उभयपक्ष बहस नी गई। वादी वकील द्वारा बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने उभयपक्ष

१५६–

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात एव तहसीलदार बॉदीकुई जॉच रिपोर्ट दिनांकः 02.07.2024 का अवलोकन किया। राजस्व जमाबंदी संवत 2075–78 ग्राम आशापुरा खाता सं. नया 25 पुराना 24 का खाता सं. 226 वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल संवत 2052–2071के अनुसार खसरा नं. 225, 226, 228, 229, 230 साबिक खसरा नं. 44/8 से बने हैं। तथा खसरा नं. एवं खसरा नं. 224 व 227 साबिक खसरा नं. 61 से बने हैं। तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम आशापुरा के साबिक खसरा नं. 44/6, रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा के हाल खसरा नं. 225/0.07, 226/0.37, 228/0.16, 229/0.15, 230/0.41 कुल किता 5 रकबा 1.16 हैक्टे. से बने हुए है जो कि वादीगणों के नाम खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त हाल खसरा नं. 225 लगायत 230 का रकबा जमाबंदी का रकबा 1.16 हैक्ट. की तुलना में 1.30 हैक्ट. है। राजस्व नक्शे में है जो कि 0.14 हैक्टेयर भूमि वादीगणों के पास अधिक है। अतः गत नक्शे मुताबिक हाल नक्शे की शुद्धि करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया। साथ ही उक्त खातेदारी भूमि के लगते हुए पश्चिम दिशा में हाल खसरा नं. 224/1.57, 227/0.12 भूमि पर उपतहसील कार्यालय बांदीकुई एवं एसडीओ आवासीय भवन बना हुआ है। जिसमें खसरा नं. 227/0.12 का रकबा जमाबंदी में 0.12 हैक्टे. की तुलना में नक्शे में 0.17 हैक्टेयर बनता है जबकि जमाबंदी म दर्ज खसरा नं. 224/1.57 का रकबा जमाबंदी की तुलना में नक्शे में कम बैठता है। अतः वादी की खातेदारी भूमि का राजस्व नक्शे में जमाबंदी अनुसार गत नक्शा मुताबिक तथा आराजी खसरा नं. 224 में 0.05 हैक्टेयर कम करते हुए कुल भूमि वादीगणों के खसरा नं. में से 0.19 हैक्टे. व प्रतिवादीगणों 0.05 यानी 0.19 हैक्टेयर भूमि खसरा नं. 224 में सम्मिलित करते हुए मुताबिक साबिक नक्शा शीट के अनुरूप हाल नक्शा शीट में शुद्धि करने पर तहसीलदार बांदीकुई द्वारा अनुशंषा की गयी है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजातों एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि के हाल नक्शे में सहवन से त्रुटि कारित होना प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से वादीगण वाद बरूये तहसीलदार बॉदीकुई जॉच रिपोर्ट दिनांकः 02.07.2024 के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद दावा दुरूस्ती नक्शा ट्रेस स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बॉदीकुई को आदेश दिया जाता है कि ग्राम आशापुरा तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नं. 227 के वर्तमान नक्शे को साबिक नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जाकर विधिवत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

03/2/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner